प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास – श्री सुरेश कुमार यादव, R.A.S.

उनवान

श्रीमती उगन्ती धर्मपत्नि रामदयाल जाति जाटव निवासी जाटव वस्ती हिण्डौन जिला करौली ——————————————————— वादीया

बनाम

1. नत्थीलाल पुत्र जोखराम जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली –मृतक

1/1. गीता | पिसरान नत्थीलाल जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन जिला करौली
1/2. बिरमा |
1/3. मुकेश |

2. भगवत | पिसरान जोखराम जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. भागचन्द |
4. रामसिंह |
5. विजयसिंह |

6. धनकौर बेबा जोखराम जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली – मृतक
7. चन्द्रवती पुत्री जोखराम, जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन सिटी
8. धंधोलीराम पुत्र कन्हैया जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली – मृतक

8/1. भगवन्ती बेबा धंधोलीराम | जाति जाटव
8/2. ज्ञानसिंह | पिसरान धंधोलीराम | निवासी राजनगर जाटव बस्ती
8/3. निरंजन | | हिण्डौन सिटी जिला करौली
8/4. अशोक |
8/5. सुरेन्द्र |
8/6. बिरमा |

8/7. वीरसिंह पुत्र रेतीलाल जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली
8/8. सरोज पुत्री रेतीलाल जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली
8/9. लक्ष्मी पुत्री रेतीलाल जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन—— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:16:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं0 97 / 2011

दावा बाबत् तकास्मा,
व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पुरूषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री शान्तिलाल करसौलिया एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार हिण्डौन को 200/–रूपया फीस पर बंटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 है0, 1288 रकबा 0.25 है0, 1289 रकबा 0.27 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वाके कस्बा हिण्डौन के मौके पर पहुँचकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.09.2020 को यह डिक्री जारी की गई।

15/09/2020

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:16:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

तारीख रजू :—16.06.2011

मुकदमा नं0 :— 97 / 2011

पीठासीन अधिकारी — सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

श्रीमती उगन्ती धर्मपत्नि रामदयाल जाति जाटव निवासी जाटव वस्ती हिण्डौन जिला करौली ———————————————————— वादीया

बनाम

1. नत्थीलाल पुत्र जोखराम जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली —मृतक

1/1. गीता | पिसरान नत्थीलाल जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन जिला करौली
1/2. बिरमा |
1/3. मुकेश |

2. भगवत | पिसरान जोखराम जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. भागचन्द |
4. रामसिंह |
5. विजयसिंह |

6. धनकौर बेबा जोखराम जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली — मृतक
7. चन्द्रवती पुत्री जोखराम, जाति जाटव निवासी नीम कोलोनी हिण्डौन सिटी
8. धंधोलीराम पुत्र कन्हैया जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली — मृतक

8/1. भगवन्ती बेबा धंधोलीराम | जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली
8/2. ज्ञानसिंह | पिसरान धंधोलीराम
8/3. निरंजन |
8/4. अशोक |
8/5. सुरेन्द्र |
8/6. बिरमा |

8/7. वीरसिंह पुत्र रेतीलाल जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली
8/8. सरोज पुत्री रेतीलाल जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली
8/9. लक्ष्मी पुत्री रेतीलाल जाति जाटव निवासी राजनगर जाटव बस्ती हिण्डौन सिटी जिला करौली
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन — प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:16:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री पुरूषोत्तम लाल गोयल एडवोकेट वादीया

2. श्री शान्तिलाल करसौलिया एडवोकेट प्रतिवादी सं01/1ता1/3

निर्णय **दिंनाक :— 15.09.2020**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीया ने दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 है0, 1288 रकबा 0.25 है0, 1289 रकबा 0.27 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन है।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र के प्रतिवादीगण सं01 ता 7 के पिता जोखराम का 1/3 हिस्सा तथा पातरिया हि01/3 एवं धंधोली प्रतिवादी सं08 हि01/3का जमाबन्दी सं02063 —66 में उपरोक्तानुसार दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र की खातेदारी में जोखराम के मरने के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण नम्बर 3151 दिनांक 12.02.2009 के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 बहिस्सा 1/3 के नाम दर्ज हुआ तथा उसका अमल भी जमाबन्दी सं0 2063—66 में हो गया। इसी प्रकार पातरिया के मरने के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण 3151 दिनांक 12.02.2009 के अनुसार उसके वारिसों के नाम खुल गया तथा उसका अमल भी जमाबन्दी सं0 2063—66 में हो गया। इसके पश्चात वादीया ने पातरिया के वारिसों से उनके उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.02.2009 को खरीद लिया जो पुस्तक सं01 जिल्द सं0 216 पृष्ठ संख्या 170 के क्रम सं0 2009000353 पर पंजीबद्ध किया गया तथा मौके पर कब्जा किया एवं उक्त खरीद के आधार पर उसका नामान्तकरण नम्बर 3170 दिनांक 21.02.2009 के द्वारा उक्त आराजीयात की 1/3 हिस्से की खातेदारी पातरिया के वारिसों के बजाय वादीया के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुई तथा इसका अमल भी जमाबन्दी सं0 2063—66 में आ गया।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 है0, 1288 रकबा 0.25 [illegible] 0.27 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वाके [illegible] 1/3 हिस्से की, प्रतिवादी सं0 1 लगायत-7 हिस्सा 1/3 के तथा प्रतिवादी [illegible]08 हिस्सा 1/3 के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं और [illegible] लगातार काश्त करते चले आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:16:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

रहे हैं तथा वादीया व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 8 ने काश्त की सहूलियत व सहमति से मौके पर बंटवारा कर रखा है। लेकिन रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादी सं01 ता 8 के मध्य कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादीया ने इस वर्ष गत फसल में चना काश्त कर उसे दरोह किया।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 के बीच डौल मेंड डालने तथा जुताई बुबाई करने को लेकर आपसी तनाब रहता है तथा झगडे की सम्भावना बन जाती है। इस बात को लेकर वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 से तहसील में चलकर आराजीयात मुतजिका मद नं01 का बंटवारा करने के लिए दिनांक 13.06.2011 को कहा तो प्रतिवादी सं01 ता 8 ने साफ इन्कार हो गये उन्होंने वादीया की भूमि पर जबरन कब्जा करने की तथा भूमि को नाकाबिल काश्त बनाने की धमकी दी। इसलिए वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं09 तहसीलदार तहसील हिण्डोन लैण्ड होल्डर है और मुकदमें में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए उसे फरीक मुकदमा बनाया गया है।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 13.06.2011 को प्रतिवादी सं01 ता 8 द्वारा विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने से इन्कार करने तथा विवादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने व नाकाबिल काश्त बनाने की धमकी देने से अन्दर हदूद आराजी अदालत वाला पैदा हुई। दावा अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 डिवीजन ऑफ होल्डिंग किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 है0, 1288 रकबा 0.25 है0, 1289 रकबा 0.27 है0; कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में वादीया बहिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं0 1 ता 7 हिस्सा 1/3 , प्रतिवादी सं0 8 हिस्सा 1/3 का अलग अलग रकबा कायम किया जाकर अलग अलग खाता कायम कराया जावे तथा प्रिलिमिनरी डिक्री बनाई जाकर बंटवारा स्कीम मंगाई जावे तथा बंटवारा स्कीम के मुताविक अलग अलग नम्बर कायम किये जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा फाईनल डिक्री बनाई जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से इस आश्य के लिए पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं और न ही अन्य लोगों के द्वारा वादीया के 1/3 हिस्से में किसी प्रकार की मुजाहमत मदाखलत करें और न ही किसी अन्य से [illegible] किसी प्रकार का करावें। वादीया को अपने हिस्से में काश्त करने [illegible] से वादीया के हक, हकूकों को पैदा नहीं करें एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादीया के हक, हकूकों को कोई नुकसान पहुँचे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:16:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.09.2011 को प्रतिवादी सं0 1 व 8 नत्थीलाल व धंधोली उपस्थित आये तथा जबावदावा पेश करने को समय चाहा तथा दिनांक 16.02.2012 को प्रतिवादी सं0 2 ता 6 व 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 15.09.2020 को प्रतिवादी सं01/1 ता 1/3 एवं वादीया के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वादीया का दावा मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री पर सहमत है।

वकील वादीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2063–66, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.02.2009 पेश किये हैं।

वादीया एवं प्रतिवादी सं01/1 ता 1/3 के अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता ने वादीया का दावा मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री पर सहमत हुए तथा आदेशिका पर अपने अपने हस्ताक्षर किये।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया।

नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 है0, 1288 रकबा 0.25 है0, 1289 रकबा 0.27 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी जोखराम पातरिया पि0 ईशरिया हि0 2/3, धंधोलीराम पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/3 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3157 दिनांक 12.02.2009 विरासत से जोखराम हि01/3 के बजाय नत्थीलाल, भगवत, भागचन्द,रामसिंह, विजयसिंह पि0 जोखराम चन्द्रवती पुत्री जोखराम, धनकौर बेबा जोखराम हि0ब0हि01/3, पातरिया हिस्सा 1/3 के बजाय रामकिशन, भगवानसिंह ओमप्रकाश पि0 पातरिया, पुस्ता ओमवती पुत्रियॉं पातरिया हि0ब0 हि01/3 स्वीकार है दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 3170 दिनांक 21.02.2009 द्वारा खाते में अंकित किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 में रामकिशन, भगवानसिंह ओमप्रकाश पि0 पातरिया, पुस्ता ओमवती पुत्रियॉं पातरिया हि0ब0 हि01/3 विक्रय से उगन्ती पत्नि रामदयाल जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती हि0 1/3 स्वीकार हुआ, शेष बदस्तूर रहा दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 है0, 1288 रकबा 0.25 है0, 1289 रकबा 0.27 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वाके [illegible] की खातेदारी अशोक पुत्र धंधोली हि0 1/21, [illegible] हि01/3, गीता पुत्री नत्थीलाल हि01/54, चन्द्रवती पुत्री जोखराम हि0 1/1[illegible] [illegible]नसिंह पुत्र धंधोली हि0 1/21,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:16:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

निरंजन पुत्र धंधोली हि01/21, भगवत पुत्र जोखराम हि01/18, भगवन्ती पत्नि धंधोली हि01/21, भागचन्द पुत्र जोखराम हि01/18, मुकेश पुत्र नत्थी हि01/54, रामसिंह पुत्र जोखराम हि01/18, लक्ष्मी पुत्री रेतीलाल हि01/63, विजयसिंह पुत्र जोखराम हि01/18, विरमा पुत्री नत्थीलाल हि01/54, विरमा पुत्री धंधोली हि0 1/21, वीरसिंह पुत्र रेतीलाल हि01/63, सुरेन्द्र पुत्र धंधोली हि01/21, सरोज पुत्री रेतीलाल हि01/63 जातियान जाटव निवासी सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 है0, 1288 रकबा 0.25 है0, 1289 रकबा 0.27 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में वादीया हि01/3 की खातेदार काश्तकार है तथा शेष 2/3 हिस्सा के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं। वादीया एवं प्रतिवादी सं01/1 ता 1/3 के अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता ने वादीया का दावा मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री पर सहमत हुए तथा आदेशिका पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। वादीया उक्त विवादित आराजीयात में 1/3 हिस्से की रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण वादीया अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा कराने की हकदार है। ऐसे हालात में वादीया का दावा बावत् तकास्मा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् तकास्मा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को 200/–रूपया फीस पर बंटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.29 है0, 1288 रकबा 0.25 है0, 1289 रकबा 0.27 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वाके कस्बा हिण्डौन के मौके पर पहुँचकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 17:16:59 IST
Reason: SelfAttested

15/09/2020
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Scanned by CamScanner